118

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.—~~3092~~ 2113 / एक / 2016 निगरानी

नि. ६१४२

17.3.16 पेशी 5.5.16

निधि रूसिया

——— आवेदिका

विरूद्ध

डॉ के.पी. पाण्डे

——— अनावेदक

प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किये जाने वाबत्

मान्यवर,

अनावेदिका की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है, जिसमें पेशी दिनांक 05.05.2016 नियत है।

2. यह कि, प्रकरण के चलते उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिये प्रकरण का निराकरण किया जाना संभव होगा।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित है। प्रकरण का निराकरण राजीनामा पर पारित किया जाना संभव होगा।

4. यह कि, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जाना न्यायोचित नही है तथा अनावेदक उपस्थित हो चुके है। इस कारण उक्त प्रकरण राजीनामा का निराकरण किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि, उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए शीघ्र सुनवाई कर उभय पक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

स्थान :— ग्वालियर
दिंनाक :— 17 .03.2016

आवेदिका
निधि रूसिया
द्वारा अभिभाषक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2113–तीन / 14 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
17.3.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है । अतः आवेदक के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	